बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सं0सं0–07 / स्था0–28–18 / 2019, परि0 **पटना, दिनांक–**

आदेश

श्री श्याम नन्दन प्रसाद, तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना (प्रतिनियुक्त जिला परिवहन कार्यालय, समस्तीपुर) के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना के पत्रांक–2431, दिनांक–11.12.2019 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय ज्ञाप सं0–9306, दिनांक–18.12.2019 द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित करने का निदेश दिया गया है।

2. उपर्युक्त के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा दिनांक–12.02.2020 को लिखित अभिकथन समर्पित किया। श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यों में की गयी लापरवाही / आदेशोलंघन के कतिपय आरोपों को आरोप पत्र में समाहित करते हुए नया आरोप पत्र गठित कर विभागीय ज्ञाप सं0–5765, दिनांक–10.08.2020 द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित करने का निदेश दिया गया है।

3. श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप है कि:–

आरोप सं0–1 – श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन का आरोप है। इस आरोप के आधार पर निगरानी थाना कांड सं0–47 / 2019, दिनांक–02.12.2019 धारा–13(2) सह पठित धारा–13(1)(बी), भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम–2018) दर्ज किया गया।

आरोप सं0–2 – श्री प्रसाद एक राजस्व पदाधिकारी हैं एवं राजस्व संग्रहण से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को प्रतिवेदित करना उनकी जिम्मेवारी है। Real Time Revenue Data विभाग को उपलब्ध हो इस हेतु राजस्व संग्रहण संबंधित प्रतिवेदन WhatsApp Group पर भेजा जाना था, उनके द्वारा राजस्व संग्रहण से संबंधित प्रतिवेदन WhatsApp Group पर प्रेषित नहीं किया गया, जिसके लिए विभागीय पत्रांक–833, दिनांक–05.02.2018 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने का निदेश उन्हें दिया गया, परन्तु उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया, जो इनकी स्वेच्छाचारिता, विभागीय निदेशों के अवहेलना स्थापित करता है, जो अनुशासनहीनता है।

आरोप सं0–3 – श्री प्रसाद को विभागीय पत्रांक–6076, दिनांक–20.09.2018 द्वारा ई–चालान के मैनुअल डाटा इन्ट्री मॉड्यूल की प्रति उपलब्ध कराते हुए मोटरयान अधिनियम के आलोक में काटे गये मनी रसीद के अनुसार उसकी इन्ट्री ई–चालान पोर्टल पर करने हेतु निदेशित किया गया था, किन्तु श्री प्रसाद द्वारा दिनांक–11.12.2018 से 18.12.2018 तक ई–चालान पोर्टल पर 21,25,000 / – रू0 की राशि की इन्ट्री नहीं की गई, जिसके कारण विभागीय पत्रांक–67, दिनांक–03.01.2019 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया, किन्तु श्री प्रसाद द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया, जो उनकी उदासीनता एवं कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है।

आरोप सं0–4 – जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–1336, दिनांक–29.11.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री प्रसाद द्वारा समस्तीपुर जिलान्तर्गत चिन्हित स्थानों पर वाहनों की जाँच नहीं की गयी, जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के प्रस्तावित रोसड़ा अनुमण्डल के भ्रमण हेतु वाहनों की जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया, हेलमेट/सीट बेल्ट/ओवर स्पीडिंग एवं अन्य विशेष वाहन जाँच अभियान से संबंधित सूचना नहीं दिया गया, स्कूल बस विशेष वाहन जाँच अभियान से संबंधित सूचना नहीं दिया गया एवं चिन्हित स्थलों पर दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट धारण करने संबंधित सर्वे कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–9123, दिनांक–11.12.2019 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने का निदेश श्री प्रसाद को दिया गया, किन्तु उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है, जो उनकी कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना को दर्शाता है।

आरोप सं0–5 – वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिए श्री प्रसाद को माहवार राजस्व संग्रहण का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरूद्ध श्री प्रसाद के द्वारा अपेक्षाकृत कम राजस्व वसूली की गई है, जो सरकारी कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। राजस्व संग्रहण में उनकी उदासीनता कदाचार की श्रेणी में आता है।

4. श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 एवं 19 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय ज्ञाप सं0–5765, दिनांक–10.08.2020 द्वारा आरोप पत्र भेजते हुए लिखित अभिकथन समर्पित करने का उन्हें निदेश दिया गया, जिसके आलोक में श्री प्रसाद द्वारा लिखित अभिकथन दिनांक–04.09.2020 को समर्पित किया गया।

5. श्री प्रसाद द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। श्री प्रसाद द्वारा प्रस्तुत उत्तर समीक्षोपरान्त संतोषजनक नहीं पाया गया। इस स्थिति में उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु विभागीय आदेश सं0–789, दिनांक–04.02.2021 द्वारा मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं विभाग का पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

6. प्रधान सचिव–सह–जाँच आयुक्त (संचालन पदाधिकारी) के पत्रांक–13008, दिनांक–26.10.2026 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में निष्कर्ष अंकित है कि–

आरोप सं0–1 का जाँच निष्कर्ष –

आरोपित पदाधिकारी श्री श्यामनन्दन प्रसाद द्वारा अपने बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उनकी आय एवं सम्पत्ति का आकलन सही ढंग से नहीं किया गया है तथा श्रीमती बबीता मिश्रा उनकी पत्नी नहीं, बल्कि उनकी मित्र हैं, जो उनके साथ रहती हैं। अतः श्रीमती बबीता मिश्रा की आय एवं सम्पत्ति को

आरोपित पदाधिकारी की आय एवं सम्पत्ति के गणना में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

आरोपित पदाधिकारी का उक्त तर्क स्वीकार्य योग्य नहीं है। यदि आरोपित पदाधिकारी का यह दावा है कि श्रीमती बबीता मिश्रा उनकी पत्नी नहीं, बल्कि केवल उनकी मित्र हैं, तो इस तथ्य के समर्थन में उन्हें अपने बचाव में उपलब्ध सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित था। तथापि केवल इस आधार पर कि श्रीमती बबीता मिश्रा उनकी पत्नी नहीं है, उनके साथ रहने तथा उनके नाम पर सम्पत्ति होने के तथ्य को अप्रासंगिक नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर, श्रीमती बबीता मिश्रा को पत्नी मानकर उनकी सम्पत्ति एवं आय को आरोपित पदाधिकारी की सम्पत्ति एवं आय में सम्मिलित करने के लिए भी इस संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य एवं उचित आधार का होना आवश्यक है। अतः इस विवाद का निर्णय मात्र आरोपित पदाधिकारी के कथन अथवा गवाह की धारणा के आधार पर नहीं, बल्कि अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर किया जाना चाहिए।

विभागीय कार्यवाही में गवाह श्री संजीव कुमार, निगरानी एवं अन्वूषण ब्यूरो, पटना के बयान से यह स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप के संबंध में गोपनीय सत्यापन तथा घोषित सम्पत्ति विवरणियों के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया था। यद्यपि प्रतिपरीक्षण के दौरान गवाह ने श्रीमती बबीता मिश्रा की वैवाहिक स्थिति तथा कुछ आय स्त्रोतों और बैंक लेन–देन के संबंध में अपनी सीमित जानकारी स्वीकार की, तथापि इससे मात्र यह निष्कर्ष निकलता है कि आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का सम्पूर्ण आरोप निराधार है। उक्त तथ्यों का मूल्यांकन अन्य अभिलेखों एवं साक्ष्यों के तुलनात्मक आकलन के साथ किया जाना आवश्यक है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती रूबी रानी की व्यवसायिक आय, भूमि विक्रय से प्राप्त राशि, पारिवारिक सदस्यों से प्राप्त धनराशि तथा अन्य आय–स्त्रोंतों का उल्लेख किया गया है। किन्तु इन दावों को स्वीकार करने के लिए संबंधित आय, लेन–देन एवं सम्पत्ति के स्त्रोत के समर्थन में उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण आवश्यक है। केवल मौखिक दावा किये जाने से कथित आय–स्त्रोतों को स्वतः प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार, यदि आरोपित पदाधिकारी का यह दावा है कि कुछ सम्पतियाँ उनकी माता अथवा अन्य व्यक्तियों की हैं या वैध स्त्रोतों से अर्जित की गयी हैं, तो उनके स्वामित्व एवं धन के वास्तविक स्त्रोत का निर्धारण संबंधित अभिलेखों के आधार पर किया जाना अपेक्षित है।

अतः आरोपित पदाधिकारी के बचाव अभिकथन का मात्र उल्लेख अथवा श्रीमती बबीता मिश्रा की वैवाहिक स्थिति पर विवाद, अपने आप में आरोप से उन्मुक्ति का आधार नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध तुलनात्मक आय–व्यय विवरण, सम्पत्ति के स्त्रोत से संबंधित दस्तावेजों तथा अन्य सुसंगत साक्ष्यों से यदि यह स्थापित होता है कि आरोपित पदाधिकारी की ज्ञात एवं वैध आय की तुलना में उनकी सम्पत्ति अधिक है और उक्त अन्तर का संतोषजनक स्पष्टीकरण उपलब्ध

नहीं कराया गया है, तो आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप प्रमाणित माना जाएगा।

इस प्रकार, उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों से आय एवं सम्पत्ति के बीच का अन्तर तथा उसके स्त्रोत के संबंध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाना एवं प्रमाणित पाये जाने पर, **आरोप सं0–1 प्रमाणित होता है।**

आरोप सं0–2 का जाँच निष्कर्ष –

आरोपित पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है। बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के नियम–259(8) के अन्तर्गत प्रवर्तन निरीक्षक को प्रदत्त शक्तियों की सीमित व्याख्या कर वे अपने पदीय दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकते। कर एवं शुल्क की वसूली की प्रत्यक्ष शक्ति प्राप्त नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में अनियमितताओं की जाँच, सत्यापन एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के दायितव से विमुख हो जाएँ। अतः उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों से यदि आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही अथवा कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता प्रमाणित होती है, तो **आरोप सं0–2 प्रमाणित होता है।**

आरोप सं0–3 का जाँच निष्कर्ष –

आरोपित पदाधिकारी का यह स्पष्टीकरण कि दिनांक–01.02.2018 को वसूल की गयी रू0 1,52,200/– की अर्थदण्ड राशि की सूचना WhatsApp Group पर प्रेषित की गयी थी, स्वीकार्य नहीं है, जब तक कि इसके समर्थन में संबंधित संदेश अथवा अन्य विश्वसनीय अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाते। विभागीय पत्रांक–833, दिनांक–05.02.2018 के माध्यम से उक्त राशि की सूचना प्रतिवेदित करने का निर्देश दिये जाने के बावजूद अनुपालन की पुष्टि करने वाला अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उनका स्पष्टीकरण आरोप को निरस्त करने हेतु पर्याप्त नहीं है। अतः **आरोप सं0–3 प्रमाणित होता है।**

आरोपित पदाधिकारी का यह तर्क कि e-Challan पोर्टल पर अर्थदण्ड संग्रह के आँकड़ों की प्रविष्टि का दायित्व संबंधित जिला परिवहन कार्यालय के डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का था, उन्हें अपने दायित्व से पूर्णतः मुक्त नहीं करता। उनके द्वारा मनी रसीद समय पर समर्पित किये जाने के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत किये जाने तथा संबंधित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर से जानकारी प्राप्त किये जाने की बात कही गयी है, किन्तु इससे निर्धारित अवधि में पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित करने के संबंध में उनके स्तर से किये गये अनुवर्त्ती प्रयास स्वतः प्रमाणित नहीं होते। अतः संबंधित अभिलेखों के सत्यापन एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उनके स्पष्टीकरण की समीक्षा आवश्यक है।

आरोप सं0–4 का जाँच निष्कर्ष –

आरोपित पदाधिकारी द्वारा WhatsApp संदेशों तथा मासिक समेकित प्रतिवेदन के माध्यम से दैनिक वाहन जाँच एवं कार्रवाई की सूचना देने का दावा किया गया

है। तथापि, उक्त दावे की पुष्टि संबंधित संदेशों, प्रतिवेदनों एवं अभिलेखों से किया जाना आवश्यक है। केवल मौखिक कथन के आधार पर आरोप निरस्त नहीं किया जा सकता।

दिनांक–14.11.2019 एवं 23.11.2019 को वाहन जाँच तथा अर्थदण्ड की वसूली के संबंध में दिये गये विवरण से यह स्पष्ट नहीं होता कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी आवश्यक प्रतिवेदन समय पर समर्पित किये गये थे। अतः संबंधित अभिलेखों के सत्यापन के बिना उक्त स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है।

स्कूल बसों की विशेष जाँच के संबंध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचित किये जाने का दावा किया गया है। इस संबंध में संबंधित प्रतिवेदन अथवा अन्य अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट धारण किये जाने के सर्वेक्षण के संबंध में आरोपित पदाधिकारी ने 85 वाहन चालकों में से 60 के हेलमेट धारण करने का उल्लेख किया है। किन्तु उक्त आँकड़ों के समर्थन में सर्वेक्षण प्रतिवेदन अथवा अन्य अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने आवश्यक हैं।

अतः आरोप सं0–4 के संबंध में प्रस्तुत स्पष्टीकरण की पुष्टि संबंधित अभिलेखों एवं साक्ष्यों से किया जाना आवश्यक है। जहाँ आरोपित पाधिकारी द्वारा निर्धारित दायित्वों के निर्वहन में चूक, अभिलेखों से प्रमाणित होती है। अतः ***संबंधित आरोप प्रमाणित होता है।***

आरोप सं0–5 का जाँच निष्कर्ष –

आरोपित पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष, 2018–19 एवं 2019–20 में अर्थदण्ड की वसूली के संबंध में प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं आँकड़े आरोप की गंभीरता को स्वतः समाप्त नहीं करते। राज्य के औसत वसूली प्रतिशत से अधिक उपलब्धि प्राप्त करने का तर्क माहवार निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध हुई कमी का स्वतः औचित्य सिद्ध नहीं करता। इसी प्रकार, विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्ति एवं अतिरिक्त प्रभार का उल्लेख मात्र निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के दायित्व से मुक्ति प्रदान नहीं करता।

वित्तीय वर्ष, 2019–20 में प्रस्तुत तालिका के अनुसार कुल 2,79,50,000/– रू0 के लक्ष्य के विरूद्ध 1,29,32,932/– रू0 की वसूली दर्शायी गयी है, जो लगभग 46.27 प्रतिशत है। अतः शेष लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने के कारणों का संतोषजनक स्पष्टीकरण अपेक्षित है। केवल राज्य के औसत संग्रहण अथवा अन्य जिलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन का दावा पर्याप्त नहीं है एवं कर्त्तव्यहीनता को आरोप की पुष्टि होती है।

अतः आरोपित पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आलोक में संबंधित अवधि के निर्धारित लक्ष्य, वास्तविक वसूली, प्रतिनियुक्ति की परिस्थितियों तथा लक्ष्य की कमी के कारणों का अभिलेखीय परीक्षण किया जाना आवश्यक है। उपलब्ध अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपेक्षित प्रयास नहीं किये गये तथा वसूली में कमी पदाधिकारी की लापरवाही अथवा कर्त्तव्य के

प्रति उदासीनता के कारण हुई, तो आरोप सं0–5 को प्रमाणित माना जाना उचित होगा। ऐसा आचरण बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के नियक–3(1)(i), 3(1)(ii) एवं 3(1)(iii) में निहित कर्त्तव्यनिष्ठा, सरकारी सेवक के अनुरूप आचरण तथा कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा संबंधी अपेक्षाओं के प्रतिकूल है।

श्री श्यामनन्दन प्रसाद, प्रवर्तन निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना (तत्कालीन जिला परिवहन कार्यालय, समस्तीपुर में प्रतिनियुक्त) के विरूद्ध लगाये गये ***सभी आरोप प्रमाणित होते हैं।***

7. जाँच आयुक्त (संचालन पदाधिकारी) से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 के संगत प्रावधानों के तहत श्री प्रसाद को विभागीय पत्रांक–9437, दिनांक–27.10.2026 द्वारा लिखित अभ्यावेदन/निवेदन पन्द्रह दिनों के अन्दर समर्पित करने का निदेश दिया गया। श्री प्रसाद के द्वारा लिखित अभ्यावेदन/निवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

8. जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के स्वतंत्र परीक्षण से यह परिलक्षित होता है कि आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध प्रतिवेदित एवं प्रमाणित आरोप साधारण प्रकृति के नहीं हैं, बल्कि इसमें सरकारी सेवक के आचरण, वित्तीय पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा तथा लोक सेवक के रुप में अपेक्षित उत्तरदायित्व से संबंधित गंभीर अनियमितताएँ शामिल है।

9. प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित होने से यह स्पष्ट होता है कि श्री प्रसाद द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निवर्हन में भी अपेक्षित कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन एवं जबावदेही का पालन नहीं किया गया। सभी प्रमाणित आरोपों का समग्र प्रभाव सरकारी सेवा की मर्यादा एवं प्रशासनिक व्यवस्था में अपेक्षित विश्वास को प्रभावित करने वाला है।

10. इस प्रकार श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन तथा विभागीय अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों के सम्यक विचारोपरांत अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित एवं प्रमाणित आरोप अत्यंत ही गंभीर प्रकृति के हैं। उक्त कृत्य सरकारी सेवक के लिए अपेक्षित सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता एवं अनुशासन के प्रतिकूल है।

11. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत् श्री श्यामनन्दन प्रसाद, तत्कालीन प्रवर्त्तन निरीक्षक, परिवहन विभाग मुख्यालय (जिला परिवहन कार्यालय, समस्तीपुर में प्रतिनियुक्त) सम्प्रति प्रर्वत्तन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, गयाजी को **''सेवा से बर्खास्तगी''** की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

ह0/–

(आरिफ अहसन)
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– श्री श्यामनन्दन प्रसाद, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, गयाजी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव–सह–जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गयाजी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 10220 पटना, दिनांक– 18.11.26

प्रतिलिपि– प्रमंडलीय आयुक्त, गयाजी/जिला पदाधिकारी, गयाजी/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–2431, दिनांक–11.12.2019 के आलोक में/जिला परिवहन पदाधिकारी, गयाजी एवं समस्तीपुर/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/लेखा शाखा, परिवहन विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय नोटिस बोर्ड पर अपलोड हेतु) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.11.26

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।